न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, चूरू

पीठासीन अधिकारी श्री उगमसिह राजपुरोहित, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	ता0 दायरा	निर्णय तिथि
111/2010	दावा	30.12.2010	26.04.2023

1. बीरबल पुत्र केसुराम जाति जाट निवासी खांसौली तहसील व जिला चूरू

—वादी—

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चूरू
2. पवनकुमार पुत्र बीरबल जाति जाट गांव खांसौली तहसील चूरू
3. कमला बैवा कानाराम जाति कुम्हार निवासी रामसरा तहसील चूरू
4. गुमानीराम पुत्र कानाराम जाति कुम्हार निवासी रामसरा तहसील चूरू

—प्रतिवादीगण—

दावा दुरस्ती रिकॉर्ड व दिलाने कब्जा

उपस्थित — 1. अधिवक्ता श्री नन्दराम राहड़ वादी
2. अधिवक्ता श्री आनन्द बालान प्रतिवादी सं. 4

निर्णय

वादी की ओर से दावा पेश किया गया, जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से हैं कि उनकी रोही मौजा रामसरा तहसील चूरू में पुराना खसरा नम्बर 106 मिन तादादी 28 बीघा 02 बिश्वा भूमि उसके खातेदार, काबिज, मालिक नारायनसिह वल्द ठाकर सुरजनसिह जात राजपुत साकिन व भोगता मौजा रामसरा तहसील चूरू द्वारा इसके काश्तकार चले आ रहे वादी के पिता केसुराम पुत्र चेलाराम जाति जाट निवासी खांसौली को बैनामा दिनांक 14.02.1958 के द्वारा बेचकर कब्जा व अधिकार कानूनी रूप से दे दिया गया कि जो बैनामा सब रजिस्ट्रार के यहां तस्दीक हुवा। इस तरह से दिनांक 14.02.1958 से पहले से ही कथित तोर पर कब्जा व काश्त वादी के पिता इस भूमि 28 बीघा 02 बिश्वा पर काबिज रहते व उसके हक में बैनामा हो जाने से पूर्णतया इस भूमि की खातेदारी पाने का अधिकारी हो गया। इस प्रकार वादी के पिता अपने जीवनकाल में उक्त भूमि पर काश्त करते चले आ रहे थे उनके स्वर्गवास पश्चात उनके वारिशान परिवारजन व वादी 28 बीघा 02 बिश्वा भूमि पर काबिज व काश्तकार चले आ रहे है और खेत के नम्बर पड़ गये व इन्तकाल भी वादी के नाम दर्ज हो गया । वादी के नाम इन्तकाल दर्ज हो जाने पर वादी के वास्तविक कब्जा में भूमि 28 बीघा 02 बिश्वा भूमि आई व आज भी है मगर सरकार द्वारा नये नम्बर 146 तादादी 25 बीघा 05 बिश्वा व 148 तादादी 15 बिश्वा ही होता है जो पुराना खसरा नम्बर 106 से आये हैं और इन दोनों खसरे [illegible] खातेदारी ही वादी के नाम दर्ज करदी जबकि कुल माप भूमि 28 बीघा 02 [illegible] चला आ रहा है कि जो भूमि 2 बीघा 02 बिश्वा पड़ौस के [illegible] पश्चिमी तरफ [illegible] नम्बर 141 में है। जिस पर कब्जा काश्त तो वादी का है मगर खातेदा[illegible]/141 तादादी 2 बी[illegible] खसरा नम्बर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ugam Singh Rajpurohit
Date: 2023.06.20 09:55:02 IST
Reason: SelfAttested

572/141 तादादी 10 बीघा 07 बिश्वा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के नाम दर्ज है और उसी के खातेदारी में दर्ज खसरा नम्बरान में ही वादी की 2 बीघा 02 बिश्वा भूमि कब्जा व काश्त में व शान्तिपूर्वक चली आ रही है मगर इसको वादी के खसरा नम्बर 146 में न जोड़ा जाने से अथवा नया नम्बर कायम कर वादी के नाम खातेदारी में न किया जाने से वादी का नुकसान है । अतः वादी को जब इसका ज्ञान जुलाई 10 में हुवा तो प्रतिवादी सं. 1 को दुरस्त करने आदि बाबत नोटिस दिलवाया मगर उस पर भी कार्यवाही न कि जाने से दावा लाया गया है। चूंकि नोटिस दिया जाने के समय 01.07.2010 को वादी को अपने पिता द्वारा खरीद की गई भूमि का बैनामा की नकल न मिल पाने से उस बैनामा के आधार अनुसार भूमि 29बीघा 02 बिश्वा लिखने से रह गई और नकल मिलने पर जो भूमि कब्जा व काश्त व अधिकार में चलती आई व मौके पर कब्जा , काश्त व उपभोग वादी के है उस बाबत ही दावा है । वादी के पिता द्वारा 28 बीघा 02 बिश्वा भूमि पर काबिज व काश्त करते आने से उसके हक में बैनामा इसी कब्जा काश्त की भूमि पर होने से तथा 60 वर्ष से इस भूमि का कब्जा काश्त चला आ रहे माप की भूमि का वादी को अभिलेख में खसरा नम्बर मय खातेदारी वादी के नाम अंकित करवाने का अधिकार वादी को है कि जो गलती राजस्व कर्मचारीगण की रही है उसे दुरस्त करवाने हेतु नोटिस प्रतिवादी सं. 1 को दिये जाने पर भी आश्वासन के अलावा अवधि समाप्ति हो जाने पर भी अभिलेख दुरस्त नहीं किये जाने पर तथा केम्प खांसौली में दिनांक 10.11.2010 को दावा करने के लिये कहे जाने पर यह दावा किया जा रहा है ।

वादगत भूमि के स्थित होने के स्थान, पक्षकारान वाद के निवास स्थान, वाद का प्रकार,मुल्यांकन वाद इस हेतु 2.00 रू. कायम किये जाने से यह वाद माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार में है और अवधि में उचित न्यायालयशुल्क पर पेश किया जा रहा है।

अतः उपरोक्तानुसा वाद वादी पेश कर निवेदन है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाते हुए निम्न अनुतोष प्रदान किया जावे :-

(क) बैनामा दिनांक 14.02.1958 अनुसार रोही मौजा रामसरा ते. चूरू स्थित पुराना खेत खसरा नम्बर 106 मिन तादादी 28 बीघा 02 बिश्वा जो इस बैनामा से पूर्व समय से ही वादी के पिता के कब्जा व काश्त में बैनामा में उल्लेखितानुसार चली आने व बैनामा में उल्लेखित आसापासा अनुसार पश्चित में लालाराम कुम्हार का खेत कि जो अब प्रति 2, 3 के खातेदारी में ख. न. 141 है वोह उल्लेखित होने तथा उस समय में आज तक उसी माप की भूमि 28 बीघा 02 बिश्वा पूर्वज पिता परिवार वादी व वादी के आज तक होने के उस माप की भमि बाबत जो खातेदारी ख.नं. 146 व 148 को दी जाकर अभिलेख में दिखाई वोह 2 बीघा कम पश्चित स्थित पड़ौसी खेत ख. नं. 141 कि जिसके नम्बर 572/141 व 573/141 किये उस खेत में ही संलग्न एनेक्सर ऐक्स में के बरंग लाल की 2 बीघा भूमि वादी के कब्जा, अधिकार में चली आने से उस 2 बीघा का अलग खसरा कायम किया जाकरर दुरस्ती रिकॉर्ड किया जाते हुवे वादी के नाम खातेदारी दर्ज करने का आदेश प्रतिवादी सं. 1 का दिया जावे ।

(ख) अन्य हर अनुतोष जो हितकर वादी हो या हो जावे, प्रदान किया जावे । कृपा होगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ugam Singh Rajpurohit
Date: 2023.06.20 09:55:02 IST
Reason: SelfAttested

वादी की ओर से प्रस्तुत दावा न्याया[illegible]धिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरि[illegible] गई जिस पर प्रतिवादीगण की ओर से श्री नरेन्द्र धेतरवाल [illegible]लत नाम पेश किया । प्रतिवादी सं. 3 व 4 की ओर से दिन[illegible] दावा पेश किया गया । प्रतिवादी सं. 3 व

4 द्वारा वादी के बिन्दुओं को अस्वीकार करते हुए जबाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी का वाद खारिज फरमाया जावे तथा प्रतिवादीगण संख्या 3 व 4 को कृषि भूमि खसरा नम्बर 141 तादादी 14 बीघा 10 बिश्वा का खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में खसरा नम्बर 141 में 10 बीघा 07 बिश्वा के स्थान पर 14 बीघा 10 बिश्वा दर्ज किया जावे । जिसकी प्रति वादी के वकील को दिलाई गई एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 से जबाब चाहे जाने पर प्रतिवादी सं. 1 द्वारा जबाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी द्वारा अपनी भूमि खसरा नम्बर 141 में होना अंकित किया है सम्बन्ध में मौका रिपोर्ट ली जानी उचित है । गत खसरा नम्बर 106 के वर्तमान खसरा नम्बर 146, 148, व 141 जो बने हैं में ख.नं. 146 व 148 का क्षेत्रफल 26 बीघा वादी की खातेदारी में है तथा ख.नं. 141 किसी अन्य की खातेदारी में दर्ज है तथा मध्य में गै.मु. रास्ता मुताबिक नक्शा के है । गत खसरा नम्बर 258/106 जो वादी के पिताजी के नाम से कृषक दर्ज है में 1 बीघा 02 बिश्वा भूमि गै.मु. व शेष 26 बीघा भूमि काबिल काश्त है। भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा काबिल काश्त भूमि को वादी के पिता के नाम खातेदारी व गै.मु. 1 बीघा 02 बिश्वा को रास्ते मे शामिल किया है । इस प्रकार क्षेत्रफल का मिलान होता है। प्रतिवादी सं. 2 द्वारा दिनांक 23.06.2011 को जबाबदावा प्रस्तुत किया जाकर वादी के बिन्दुओ को स्वीकार करते हुए निवेदन किया गया कि वादी का दावा उसके कहे अनुसार डिक्री किया जाता है तो मेरे को आपती नही, मेरा तो मेरे खेत ख.नं. 573/141 की 2 बीघा भूमि पर कब्जा अधिकार खातेदारी है जो मेरे कब्जा व अधिकार खातेदारी में रहने दिया जावे । वकील प्रतिवादी सं. 3 व 4 की ओर से दिनांक 10.09.2015 को प्रार्थना पत्र वास्ते प्रतिवादी सं. 3 व 4 के पक्ष की तनकी विरंचना हेतु निवेदन किया गया । प्रार्थना पत्र अवलोकन से स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया गया । तनकीयात जारी की गयी कि

1.आया वादी के पिता की कृषि भूमि ख.नं. 106 मिन तादादी 26.02 बिघा रोही मोजा रामसरा खरीदशुदा है जिसके ख.नं. 146 व 148 बने तथा राजस्व रिकॉर्ड में वादी की कृषि भूमि 2 बीघा कम अंकित हो गई जिसे दुरस्त करवाने का वादी अधिकारी है । – वादी –

2. आया वादगत कृषि भूमि से 2 बीघा भूमि खसरा नं. 141 जिसके हाल ख.न0 572/141 व 573/141 हैं में गलत दर्ज हो गई है जिसे प्राप्त करने का वादी अधिकारी हे। –वादी–

3\. आया कृषि भूमि खसरा नं. 141 तादादी 14 बीघा 10 बिश्वा में से गलत रूप से वादी ने 4.3 बीघा भूमि कम करवाकर ख.नं. 146 में शामिल करवा लिया जिसे प्रतिवादी सं. 3 व 4 वापिस प्राप्त करने के अधिकारी हैं। –प्रतिवादीगण 3 व 4 –

4.आया गत सेटलमेंट के दौरान वादी के खेत में से चूरू से ऊंटवालिया गांव तथा रामसरा से खांसोली जाने वाले आम रास्ते में कट गई इसलिए वादी की कुछ भूमि कम हो गई।कि – प्रतिवादीगण 3 व 4 –

5.अन्य अनुतोष।

नवीन संशोधित तनकी दिनांक 18.09.2015 को जोड़ी गयी ।

घोषित किया जावे की [illegible] बीघा 10 बिश्वा में से 4 बीघा 3 बिश्वा कृषि भूमि वादी के नाम दर्ज करने [illegible] न्तरकरण सं. 26 व 27 प्रतिवादीगण के अधिकारों के मुकाबले निष्प्रभाव वा शून्य है।

घोषित किया जावे की कृ[illegible] रिकॉर्ड जमाबंदी में 10 बीघा 07 बिश्वा के स्थान पर प्रतिवादीगण 14 बीघा 10 [illegible] के खातेदार काश्तकार हो वा ख.नं. 141

Signature Not Verified
Digitally signed by Ugam Singh Rajpurohit
Date: 2023.06.20 09:55:02 IST
Reason: SelfAttested

का रकबा 10 बिघा 07 बिश्वा के स्थान पर 14 बीघा 10 बिश्वा अपनी खातेदारी में दर्ज करवाने के प्रतिवादीगण सं. 3 व 4 अधिकारी है।

वादी को साक्ष्य हेतु काफी अवसर दिये जाने पर भी वादी के न्यायालय में तारीख पेशी पर उपस्थित नहीं होने से पत्रावली दिनांक 04.112015 को अदम पैरवी अदम हाजरी में खारिज की गयी । वकील वादी द्वारा दिनांक 30.11.2015 को न्यायालय में उपस्थित आकर निवेदन किया कि अन्य न्यायालयों में व्यस्तता के कारण उपस्थित नहीं होना बताया । न्यायहितों में पत्रावली पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये गये एवं आगामी प्रक्रिया इसी स्तर से शुरू करने की स्वीकृति दी गयी । उभय पक्ष द्वारा दिनांक 04.12.2015 को साक्ष्य प्रस्तुत किये गये । वकील प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र 6/17 सीपीसी प्रस्तुत किया गया जिसकी प्रति नवीन विपक्षी को वास्ते जबाब व बहस के उपलब्ध करवायी गयी। वकील वादी द्वारा प्रार्थना पत्र 6/17 सीपीसी के जबाब व बहस में कोई रूचि नहीं ली गई अतः एक पक्षीय बहस सुनी गई । प्रार्थना पत्र के तथ्यों का अवलोकन किया गया जिससे वादपत्र अनुतोष की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी सं. 3 व 4 के प्रतिदावा के पृष्ठ सख्या 5 की दूसरी एवं चौथी लाईन में तथा अनुतोष की तीसरी एवं पांचवी पक्ति में 16 बीघा 10 बिश्वा को काट कर लाल स्याही से 14 बीघा 10 बिश्वा किया गया एवं तनकी में भी इसी अनुरूप संशोधन किया गया ।

वकील वादी की ओर से प्रार्थना पत्र दिनांक 29.04.2016 अन्तर्गत आदेश 9 नियम 4 व धारा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र पेश किया गया । जिस पर वकील प्रतिवादी द्वारा पेशा जबाब व वकील उभयपक्षकारान की बहस सुनी गयी । वकील वादी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादी को वादपत्र अदम हाजरी अदम पैरवी के खारिज करने का आज पहले ज्ञान व जानकारी नही रही है । वादी के अधिवक्ता अस्वस्थ होने के कारण न्यायालय में हाजिर नहीं आ सके । जिस कारण प्रार्थी का दावा खारिज फरमा दिया गया । उक्त प्रार्थना पत्र के जबाब व बहस में वकील प्रतिवादी ने भी निवेदन किया कि वकील वादी अन्य प्रकरणों में उपस्थित आये थे अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे । पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस के तथ्यों पर मनन किया गया । वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 4 सीपीसी का प्रार्थी के सुनवाई का अधिकार के मद्देनजर रखते हुए न्यायहित में 500 रूपये के कोस्ट स्वीकार किया जाकर दावा रेस्टोर किया जाता है तथा प्रार्थना पत्र के अन्य बिन्दु दावा के निर्णय में तय किये जावेंगें। वकील वादी के पूर्व में दिनांक 30.10.2015 को बन्द हुए साक्ष्यवादी में पुनः अवसर दिये जाने निवेदन पर न्यायहित व सम्यक् दृष्टिकोण रखते हुए साक्ष्यवादी हेतु अवसर प्रदान किया गया।

वादी ने अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी का दिनांक 30.08.2016 पेश किया जिसकी प्रति वकील प्रतिवादी सं0 3 व 4 का दी गयी । प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि प्रतिवादी सं. 3 व 4 ने अपने अधिवक्ता के जरिये दिनांक 26.04.2011 को इस दावा का जबाबदावा मय काउण्टर क्लेम पेश किया था जिसके पश्चात पत्रावली काउण्टर क्लेम के जबाब हेतु नियत रखी जानी चाहिए थी [illegible] से पत्रावली सीधे ही कायमी तनकीयात में रखी जाकर आगामी [illegible] हेतु [illegible] जबकी कानूनी रूप से जब काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया [illegible] है तो [illegible] जबाबदेही का अवसर वादी को काउण्टर क्लेम का जबाब अवसर [illegible] प्रतिवादी सं. 3 व 4 ने उक्त प्रार्थना पत्र जबाब न

Signature Not Verified
Digitally signed by Ugam Singh Rajpurohit
Date: 2023.06.20 09:55:02 IST
Reason: SelfAttested

देकर सीधी करते हुए कथन किया कि को जबाबदावा मय काउण्टर क्लेम पेश करने के बाद दिनांक 03.06.2011 से 08.02.2012 तक 19 तारीख पेशियों पर अवसर दिये थे परन्तु दौरान कभी भी जबाब काउण्टर क्लेम प्रस्तुत नहीं किया जबकि वकील वादी हर तारीख पेशी पर उपस्थित हुए हैं। अब इस स्तर पर वकील वादी व वादी जबाब काउण्टर क्लेम हेतु प्रकरण में अनावश्यक देरीना की मंशा से अवसर चाहते हैं जो तर्कसंगत नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे । वादी द्वारा पेश दावा पत्रावली का अवलोकन किया गया । प्रतिवादी सं. 3 व 4 द्वारा दिनांक 03.05.2011 को जबाबदावा पेश किया गया तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के जबाब में दिनांक 12.07.2011 तक लम्बित रही है । दिनांक 12.07.2011 को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा जबाब प्रस्तुत किया गया । उसके बाद पत्रावली दिनांक 29.02.2012 तक पत्रावली कायमी तनकीयात में लम्बित रही । इस प्रकार वादी को दिनांक 03.05.2011 से 29. 02.2012 तक वादी को काफी लम्बा समय मिला परन्तु इस दौरान न तो वादी द्वारा जबाब काउण्टर क्लेम पेश किया तथा न ही कोई मांग या प्रार्थना पत्र पेश किया जबकि वादी को काफी अवसर प्राप्त हुए हैं । इसलिये प्रार्थना पत्र के माध्यम से इस समय जब पत्रावली साक्ष्यवादी में चल रही है तब जबाब काउण्टर क्लेम का अवसर दिया जाना न्यायोचित नहीं है तथा इससे केवल प्रकरण में अनावश्यक देरी ही होगी । वकील वादी इस दौरान हर तारीख पेशी पर उपस्थित आते रहे हैं। इस प्रकार इस स्तर पर वादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही होने से खारिज किया जाता है। दिनांक 29.09.2016 को वकील वादी श्री नन्दराम राहड़ द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। साक्ष्यवादी में हरूदान चारण ने साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया । वकील वादी द्वारा दिनांक 16.01.2018 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 एवं आदेश 6 नियम 16 सपठित धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत किया गया जिसकी प्रति वकील प्रतिवादी को वास्ते जबाब प्रार्थना पत्र दी गयी ।

दौरान जबाब व बहस के वकील वादी एवं प्रतिवादी कि ओर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि पत्रावला को आगामी तारीख पेशी दिनांक 17.04.2023 से पूर्व आज ही सुनवाई में ली जाकर तहसीलदार चूरू से मौका रिपोर्ट मंगवाई जावे जिससे मौका रिपोर्ट के अनुसार वादी व प्रतिवादी के मध्य राजीनामा किया जाकर प्रस्तुत किया जा सके। जिस पर पत्रावली दिनांक 10.04.2023 को पेशी में ली जाकर तहसीलदार चूरू से वादग्रस्त कृषि भूमि के मुत्तलीक मौका रिपोर्ट चाही गयी ।

तहसीलदार चूरू से दिनांक 17.04.2023 को मौका रिपोर्ट एनेक्सर 1, पक्षकारों की उपस्थिति में पटवारी व भू–अभिलेख निरीक्षक से वादग्रस्त कृषि भूमि की नपती करवायी जाकर नजरी नक्शा तैयार करवायी जाकर प्रस्तुत की गयी जिस पर किसी भी पक्षकार को कोई आपत्ति व एतराज नहीं है तथा वकील वादी व प्रतिवादी एवं स्वंय वादी एवं प्रतिवादी सं. 4 द्वारा राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि हमारा राजीनामा के अनुसार राजस्व अभिलेख में प्रविष्टि करने हेतु तहसीलदार चूरू को आदेश फरमा दिया जावे । राजीनामा के तथ्यों का पढकर सुनाया गया जिसे उपस्थित पक्षकारों वादी एवं प्रतिवादी सं. 4 द्वारा सही एवं सत्य होना स्वीकार किया गया। उपस्थित पक्षकारों की पहचान उनके अधिवक्तागण द्वारा किये जाने पर राजीनामा तस्दीक किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ugam Singh Rajpurohit
Date: 2023.06.20 09:55:02 IST
Reason: SelfAttested

राजीनामें के तथ्य इस प्रकार हैं :–

उपरोक्त अनुवानी दावा में वादी तथा प्रतिवादीगण के मध्य राजीनामा हो जाने से पक्षकार अपने दावा को सहमति व स्वीकृति के आधार पर निम्नानुसार राजीनामा डिक्री करवाया जाकर प्रकरण का निस्तारण करना चाहते है:

:: राजीनामा के तथ्य संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है ::

(1) यह कि उपरोक्त अनुवानी प्रकरण का एक वाद ग्राम रामसरा के रकबा स्थित कृषि भूमि की बाबत खेत खसरा नं. पुराना 106 तादादी 39 बीघा 12 बिश्वा जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 146, 148, 150, 572/141, 573/141 कुल तादादी 38.11 बीघा कृषि भूमि एवं खसरा नम्बर 142, 147, 149 गै.मु. रास्ता के लिये प्रतिवादीगण के विरूद्व वादी ने संस्थित कर रखा था। यह वाद काफी लम्बे समय से न्यायालय में लम्बित है अब चूंकि पक्षकारान वादी व प्रतिवादीगण ने आपस में सुलह करके लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर प्रकरण का निस्तारण कर लिया है। जिसके अनुसार पक्षकारान राजीनामा तैय करते है कि :–

(क) यहकि वादगत कृषि भूमि खसरा नम्बर 146 तादादी 25.05 बीघा का अंकन राजस्व अभिलेख में वादी के नाम से है परन्तु राजस्व नक्शे में इस खसरे की मौके पर नपती करने पर इसका रकबा 21 बीघा 11 बिश्वा ही है एवं नक्शा भी 21 बीघा 11 बिश्वा का ही होने से वादी का मौके पर सदैव कब्जा व काश्त खसरा नम्बर 146 की 21 बीघा 11 बिश्वा कृषि भूमि पर ही रहा है अतः खसरा नम्बर 146 की तादादी 25 बीघा 05 बिश्वा कृषि भूमि की बजाय 21 बीघा 11 बिश्वा ही राजस्व अभिलेख में वादी के नाम से खातेदारी में दर्ज कराने में वादी सहमत है।

(ख) यहकि वादगत कृषि भूमि खसरा नम्बर 573/141 तादादी 2.00 बीघा जो अर्सादराज से प्रतिवादी संख्या 2 के कब्जे व काश्त में रही है एवं राजस्व नक्शे में नाप करने पर खसरा नम्बर 573/141 का रकबा 2.00 बीघा ही है। राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी सं. 2 पवनकुमार जो वादी के पुत्र है के नाम दर्ज है । जिसे प्रतिवादी संख्या 02 के नाम ही राजस्व रिकॉर्ड में रखे जाने में वादी एवं प्रतिवादी सं.4 इस बाबत राजीनामा में सहमति ब स्वीकृति प्रदान करते है।

(ग) यह कि वादगत कृषि भूमि खसरा नम्बर 148 तादादी 15 बिश्वा राजस्व रिकॉर्ड में वादी के नाम दर्ज है जो राजस्व नक्शे के अनुसार नाप करने पर रकबा 15 बिश्वा ही पाया गया, को वादी के कब्जे व काश्त में होने से वादी के नाम ही रखा जाने में कोई आपति नहीं है।

(घ) यहकि वादगत कृषि भूमि के चिपते ही ग्राम रामसरा के रकबा स्थित खसरा नम्बर 150 की तादादी 04 बिश्वा कृषि भूमि के खातेदार प्रतिवादी संख्या 04 गुमानीराम वल्द कानाराम ही है, परन्तु सदैव से यह कृषि भूमि वादी के कब्जा व काश्त में रही है। राजस्व नक्शे के अनुसार नाप करने पर इस खसरे का नाप सही पाया गया है । अतः इस कृषि भूमि को प्रतिवादी संख्या 04 की खातेदारी से हटाकर वादी के नाम से राजस्व अभिलेख में बतौर खातेदार के दर्ज कर दी जावे तो प्रतिवादी संख्या 04 इस बात से सहमत है उन्हे कोई आपति नहीं है।

(ड) खसरा नम्बर 142, 147, 149 की भूमि [illegible] रिकॉर्ड में गै.मु.रास्ता दर्ज है, जो वादी के कब्जे की भूमि में से कम होकर रकबा गै[illegible] दर्ज हुआ है।

(च) यहकि प्रतिवादी संख्[illegible] थी जिनकी मृत्यु होने के पश्चात् वादगत कृषि भूमि की बाबत समस्त हक [illegible] प्रतिवादी संख्या 04 के पक्ष में न्यायगमित हिन्दु उतराधिकार विधि [illegible] प्रतिवादी संख्या 04 खसरा नम्बर 572/141

Signature Not Verified
Digitally signed by Ugam Singh Rajpurohit
Date: 2023.06.20 09:55:02 IST
Reason: SelfAttested

तादादी 10 बिघा 07 बिश्वा कृषि भूमि राजस्व रेकार्ड में दर्ज है के अकेले प्रतिवादी संख्या 04 खातेदार है, परन्तु प्रतिवादी संख्या 04 के कब्जा व काश्त में 14 बीघा 01 बिश्वा कृषि भूमि अर्सादराज से चली आ रही है। राजस्व नक्शे में खसरा नम्बर का रकबा 14बिघा 01 बिश्वा ही है तथा नाप करने पर भी रकबा इतना ही है। जिसकी सदैव से ही जानकारी वादी को रही है। अतः प्रतिवादी संख्या 04 के नाम उक्त खसरा नम्बर 572/141 की कृषि भूमि 10 बीघा 07 बिश्वा की बजाय 14 बीघा 01 बिश्वा राजस्व अभिलेख में दर्ज कर दी जाती है इस बाबत वादी को कोई आपति नहीं है एवं वादी सहमत है।

(छ) यहकि पक्षकारान ने राजीनामा के आधार पर राजीनामा के तथ्यों के अनुसार अपनी–2 कृषि भूमि पर काबिज व कायम हो चूके है अब पक्षकारान के मध्य वादगत कृषि भूमि की बाबत किसी भी प्रकार का विवाद नही रहा है। अतः इस डिक्री की सतत व निर्बाधित रूप से पालना करने हेतु वाद के पक्षकार स्वंय व उनके उतराधिकारीगण पूर्णरूप से बाधित रहेगे।

अतः खसरा नम्बर 146 तादादी 21 बीघा 11बिश्वा, 148 तादादी 15 बिश्वा, 150 तादादी 04 बिश्वा, कुल किता 3 तादादी 22 बीघा 10 बिश्वा कृषि भूमि को वादी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने एवं खसरा नम्बर 573/141 तादादी 2.00 बीघा कृषि भूमि को प्रतिवादी संख्या 4 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में यथावत रखने तथा खसरा नम्बर 572/141 तादादी 14 बीघा 01 बिश्वा प्रतिवादी संख्या 4 के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने हेतु राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन है कि राजीनामा स्वीकार एवं तस्दीक फरमाया जाकर प्रकरण का निस्तारण बरूये राजीनामा डिक्री फरमाया जावे तदनुसार डिक्री की पालना हेतु प्रतिवादी संख्या 01 तहसीलदार चूरू को राजस्व अभिलेख में प्रविष्टी दर्ज करने के आदेश भी प्रदान किया जावे आपकी अति कृपा होगी।

चूंकि पत्रावली में तनकीयात भी कायम हो चुकी है परन्तु पक्षकारों के मध्य राजीनामा होने से तनकीयात पर निर्णय किया जाना न्यायोचित नहीं है । प्रस्तुत राजीनामा तहसीलदार, चूरू की मौका रिपोर्ट कब्जा काश्त के अनुसार ही प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादी सं. 3 कमला की मृत्यु हो चुकी है। हिन्दु उतराधिकार के अनुसार उनके वारिस प्रतिवादी सं. 4 का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है एवं दावा में भी पहले से ही पक्षकार है। दावा में प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा पहले ही अपनी स्वीकृति उसके खसरा नम्बर 573/141 तादादी 2 बीघा को यथावत रखे जाने में अपनी सहमति प्रदान की है। अतः पक्षकारों द्वारा लोक अदालत की भावना से प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः लोक अदालत की भावना से आपसी सहमति से पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा को स्वीकार किया जाकर दावा वादी अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है कि वादग्रस्त कृषि भूमि मौके पर कब्जे के अनुसार एनेक्सर 1 एवं राजस्व नक्शे के अनुसार वादी बिरबलराम की कृषि भूमि रोही ग्राम रामस[illegible] बिश्वा के बजाय 21 बीघा 11 बिश्वा रकबा किया जावे। ख. नं. 148 तादादी 15 [illegible] के नाम यथावत रखा जावे। ख. नम्बर 150 तादादी 04 बिश्वा प्र[illegible] वादी बिरबलराम के नाम की जावे, खसरा नम्बर 572/1[illegible] बजाय 14 बीघा 01 बिश्वा रकबा कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 4 [illegible] जावे एवं खसरा नम्बर 573/141 तादादी 2

Signature Not Verified
Digitally signed by Ugam Singh Rajpurohit
Date: 2023.06.20 09:55:02 IST
Reason: SelfAttested

बीघा कृषि भूमि को प्रतिवादी सं. 2 पवनकुमार के यथावत रखे जाने के आदेश दिये जाते हैं । किसी पक्षकार के बैंक रहन दर्ज है वो यथावत रहेंगें । तहसीलदार चूरू उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें। पर्चा डिक्री जारी हो। राजीनामा व एनेक्सर 1 भविष्य में निर्णय का भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

निर्णय दिनांक 26.04.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उगमसिह राजपुरोहित)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर,
चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Ugam Singh Rajpurohit
Date: 2023.06.20 09:55:02 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

(CIVIL PROCEDURE CODE, APPENDIX 'D'-1)

अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, चूरू

इजलास : श्री उगमसिह राजपुरोहित आर0ए0एस0

1. बीरबल पुत्र केसुराम जाति जाट निवासी खांसौली तहसील व जिला चूरू

–वादी–

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चूरू
2. पवनकुमार पुत्र बीरबल जाति जाट गांव खांसौली तहसील चूरू
3. कमला बैवा कानाराम जाति कुम्हार निवासी रामसरा तहसील चूरू
4. गुमानीराम पुत्र कानाराम जाति कुम्हार निवासी रामसरा तहसील चूरू

–प्रतिवादीगण–

दावा दुरस्ती रिकॉर्ड व दिलाने कब्जा

मुकदमा नं. 111/2010

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू हमारे हाजरी श्री नन्दराम राहड़ एडवोकेट वादी पेश होकर तहसीलदार चूरू से प्राप्त मौका रिपोर्ट कब्जा व नक्शे के अनुसार अपनी सहमति जाहिर की गयी । प्राप्त मौका रिपोर्ट उभय पक्षकारान की उपस्थिति में पटवारी व भू–अभिलेख निरीक्षक ने मौके पर तैयार किया जाकर तहसीलदार चूरू द्वारा प्रमाणित किया गया है जिसमें पक्षकारों ने अपनी सहमति दी है। किसी पक्षकार द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी है। अतः पक्षकारों की सहमति से किये गये राजीनामे के आधार पर दावा वादी स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है कि वादगत कृषि भूमि रोही ग्राम रामसरा के खसरा नम्बर 146 तादादी 25.05 बिश्वा के बजाय 21 बीघा 11 बिश्वा रकबा वादी बिरबलराम के नाम किया जावे। खसरा नम्बर 148 तादादी 15 बिश्वा वादी बिरबलराम के नाम यथावत रखा जावे। खसरा नम्बर 150 तादादी 04 बिश्वा प्रतिवादी सं. 4 गुमानीराम की खातेदारी से हटाकर वादी बिरबलराम के नाम की जावे, खसरा नम्बर 572/141 तादादी 10 बीघा 07 बिश्वा की बजाय 14 बीघा 01 बिश्वा रकबा कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 4 गुमानीराम के नाम की जावे एवं खसरा नम्बर 573/141 तादादी 2 बीघा कृषि भूमि को प्रतिवादी सं. 2 पवनकुमार के यथावत रखे जाने के आदेश दिये जाते हैं। किसी पक्षकार के बैंक रहन दर्ज है वो यथावत रहेंगें । तहसीलदार चूरू उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें। राजीनामा व एनेक्सर 1 भविष्य में डिक्री का भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगें।

यह डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मोहर से आज 26.04.2023 को जारी की गयी।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ugam Singh Rajpurohit
Date: 2023.06.20 09:55:02 IST
Reason: SelfAttested

(उगमसिह राजपुरोहित)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, चूरू